



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 216 राँची, शुक्रवार, 23 चैत्र, 1946 (श०)
12 अप्रैल, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

31 जनवरी, 2024

संख्या-03/पद०-01(ख)-12/2014 का. 702--मो० एजाज आलम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 585/20, गृह जिला पूर्णिया (बिहार), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शिकारीपाड़ा (दुमका) के कार्यपालक दण्डाधिकारी, जामताड़ा के पद पर पदस्थापन से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या 638 दिनांक 30.01.2024 को विलोपित किया जाता है।

ii. मो० आलम अगले आदेश तक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, शिकारीपाड़ा (दुमका) के पद पर यथावत बने रहेंगे।

संख्या-03/पद०-01 (ख)-12/2014 का. 703--श्री गौरव कुमार राय, झा०प्र०से० (गृह जिला देवघर), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, काठीकुण्ड (दुमका) के कार्यपालक दण्डाधिकारी, दुमका के पद पर पदस्थापन से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या 643 दिनांक 30.01.2024 को विलोपित किया जाता है।

ii श्री राय अगले आदेश तक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, काठीकुण्ड (दुमका) के पद पर यथावत बने रहेंगे ।

संख्या- 03/पद०-01(ख)-12/2014 का. 704--आप्त सचिव (सरकारी कोटा), श्री बन्ना गुप्ता, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री आसिफ एकराम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 792/03, गृह जिला हजारीबाग), की सेवा मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक इन्हें निदेशक (संस्कृति), पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-03/पद०-01(ख)-12/2014 का. 705--कार्यपालक दण्डाधिकारी, चक्रधरपुर (प० सिंहभूम) के पद पर पदस्थापित श्री ललन कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 38/20, गृह जिला राँची), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने वेतनमान में विशेष कार्य पदाधिकारी जैप०आई०टी०, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या- 3/पद०-01(ख)-12/2014 का. 706--जिला पंचायत राज पदाधिकारी, देवघर के पद पर पदस्थापित श्री अशोक कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 318/20, गृह जिला चतरा), की सेवा पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी हजारीबाग सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत हजारीबाग सदर अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है ।

2. वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी अन्य का पदस्थापन हो गया है एवं उनका पदस्थापन कहीं नहीं किया गया है, वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के अपर सचिव ।
